बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001
फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, 2215089, बेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 06/12/2017

अधिसूचना

संख्या-नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1-20/2012 ...1204...... चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा **पटना हाईकोर्ट सेन्ट्रल कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव स्टोर्स लि॰, पटना-1 के निदेशक पर्षद** का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **अनुलग्नक-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **पटना हाईकोर्ट सेन्ट्रल कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव स्टोर्स लि॰, पटना-1 के उनकी उपविधियों में यथावर्णित पदों के लिए** सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 07.01.2018 (रविवार)** की तिथि नियत करता है तथा समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने **पत्र संख्या-1117 दिनांक 13.11.2017** द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि **दिनांक 31.10.2017** निर्धारित की गयी है, तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक **30.11.2017** को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

(vii) किन्तु चूँकि निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या वर्गवार 08 (आठ) है, अतएव उनका आरक्षण आदर्श रोस्टर बिन्दु के अनुसार किया जायगा। तदनुसार संलग्न मानक प्रपत्र-ई० 1 में आरक्षणवार पदों का उल्लेख कर दिया गया है।

निर्वाचन पदाधिकारी **निदेशक पर्षद** के विभिन्न वर्गों के पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक **प्रपत्र-ई० 1 (अनुलग्नक-2)** में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना **दिनांक 13.12.2017 (बुधवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त समिति के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र-ई० 6** में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र-ई० 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स **(0612-2231562, 2215089)** अथवा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1204.......... पटना/ दिनांक 06/12/2017

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1204 पटना/ दिनांक 06/12/2017

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना/ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना सदर/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना सदर निर्वाचन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं उसमें वर्णित प्रपत्रों का उपयोग करेंगे। सविरोध निर्वाचन की स्थिति में संलग्न मतपत्र का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सदस्य निर्वाचित किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समक्ष (✓) का चिह्न लगायेंगे।**

3. जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना सदर को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1204 पटना/ दिनांक 06/12/2017

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1204 पटना/ दिनांक 06/12/2017

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1204 पटना/ दिनांक 06/12/2017

प्रतिलिपिः सचिव –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना हाईकोर्ट सेन्ट्रल कंज्यूमर्स को–ऑपरेटिव स्टोर्स लि०, पटना–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1204 पटना/ दिनांक 06/12/2017

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ उप सचिव/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.12.17

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नक-1

पटना हाईकोर्ट सेन्ट्रल कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव स्टोर्स लि०, पटना-1 के निदेशक पर्षद के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	13.12.2017 (बुधवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	28.12.2017 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	29.12.2017 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी	30.12.2017 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	07.01.2018 (रविवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	07.01.2018 (रविवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

<u>अनुलग्नक-2</u>

पटना हाईकोर्ट सेन्ट्रल कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव स्टोर्स लि॰, पटना-1

प्रपत्र- ई॰-1

सूचना का प्रपत्र

(निदेशक पर्षद के निर्वाचन के लिए)

पटना हाईकोर्ट सेन्ट्रल कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव स्टोर्स लि॰, पटना-1 का निबंधन संख्या............................., पता ....के **निदेशक पर्षद** के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक........................को किया जाना है।

मैं..निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 08 (आठ) है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

<u>प्रथम वर्ग</u> पटना हाईकोर्ट के अधिकारियों (माननीय न्यायाधीशों को छोड़कर) के बीच से	2 पद (एक पद अनारक्षित एवं दूसरा पद अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए)
<u>द्वितीय वर्ग</u> पटना हाईकोर्ट के शेष कोटि के कर्मचारी वर्ग के बीच से	3 पद (दो पद अनारक्षित, जिसमें एक पद महिला के लिए आरक्षित तथा तीसरा पद अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए)
<u>तृतीय वर्ग</u> पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के बीच से	3 पद (दो पद अनारक्षित, जिसमें एक पद महिला के लिए आरक्षित तथा तीसरा पद अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय...................................अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)
सकने की स्थिति में...को...पर दाखिल किया जा सकता
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)
है। नामांकन पत्र दिनांक .... बजे पूर्वाह् से .... बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि एवं समय)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक................................से दिनांक..............................तक ....बजे से...................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.......................को..................................पर .... बजे पूर्वाह्न से .... बजे
(स्थान का नाम)
अपराह्न तक की जायेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.......................... ....को .... बजे अपराह्न से .... बजे अपराह्न के पूर्व तक ....पर दाखिल की जा सकती है।
(स्थान का नाम)

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.................को 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र .... (पूरा पता) में अवस्थित होगा।

(Viii) मतगणना दिनांक ....को ....बजे से ....पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि - निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पटना हाईकोर्ट सेन्ट्रल कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव स्टोर्स लि०, पटना-1 के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना

मतदान की तिथि – ....

पद – ....

मतपत्र का क्रमांक – ....

(यह निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतपत्र निर्गत करते समय अपने हाथ से भरा जायेगा। वर्ग विशेष में मतदाताओं की संख्या 100 से कम रहने पर क्रमांक-01, 02, 03 .... आदि अंकित किया जायेगा, 100 से 999 रहने पर 001, 002, 003, ... अंकित किया जायेगा तथा 999 से अधिक रहने पर 0001, 0002 .... आदि अंकित किया जायेगा)।

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	यहाँ (✓) का चिह्न लगायें
1	2	3

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील